वेब परिचालन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या : हि.अ./रा.भा.का.स./संगठन/2017/24वीं बैठक/5679 दिनांक : 01 FEB 2018

सेवा में,

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन)
के सभी सदस्य (सूची संलग्न)

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं बैठक के संशोधित कार्यवृत्त का प्रेषण ।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2017 को संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं अर्द्धवार्षिक बैठक के संशोधित कार्यवृत्त एतद्द्वारा आवश्यक कार्रवाई/ सूचना के लिए संलग्न किए जा रहे हैं। इस सबंध में यदि आपकी कोई टिप्पणी हो, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर संबंधित कार्यालय / अधिकारियों द्वारा त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से मुख्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराएं।

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीया,

संलग्न: उपरोक्त।

(वीणा रानी यादव)
उप निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, पीडीनास, नई दिल्ली/ सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
2. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय एवं सभी अंचल)।
3. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
4. क्षेत्रीय आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
5. सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा) / सभी जोनल कार्यालयों में तैनात वरिष्ठ हिंदी अनुवादक / प्रभारी राजभाषा ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं अर्धवार्षिक बैठक के संशोधित कार्यवृत्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं अर्धवार्षिक बैठक डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2017 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / सदस्य उपस्थित थे:-

राजभाषा कार्यान्वयन समिति - (संगठन) सदस्यों की सूची		
1.	डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.के. ठाकुर, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य
3.	श्री के.एल. गोयल, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)	उपाध्यक्ष
4.	श्री एस.सी. गोयल, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
5.	सुश्री मृदुला घई, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
6.	श्रीमती अनिता दीक्षित, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
7.	श्री आर.एम. वर्मा, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
8.	श्रीमती रीना मंडल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I	सदस्य
9.	श्री राजेश्वर राजेश, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II	सदस्य
10.	श्री एम.पी.एस. राठौरिया, उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव
11.	श्रीमती वीणा रानी यादव, उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
12.	श्री एन.के. मिश्र, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
13.	श्री रामानन्द सिंह, क्षे.भ.नि.आ., नोएडा	आमंत्रित सदस्य
14.	श्री पी.बी. स्वामी, क्षे.भ.नि.आ.-I, क्षे.का. गुंटूर	आमंत्रित सदस्य
15.	श्री आकाश सोनकर, स.भ.नि.आ., क्षे.का. वाराणसी	आमंत्रित सदस्य
16.	मो. अशरफ कामिल, क्षे.भ.नि.आ.-I, क्षे.का. जबलपुर	आमंत्रित सदस्य
17.	श्री रविकांत, क्षे.भ.नि.आ.-I, क्षे.का. करनाल	आमंत्रित सदस्य
18.	मोहम्मद शारिक, क्षे.भ.नि.आ.-II, क्षे.का. बरेली	आमंत्रित सदस्य
19.	श्री नंदन सिंह, स.भ.नि.आ., क्षे.का. वारंगल	आमंत्रित सदस्य
20.	श्री पी.राम सुबय्या, स.भ.नि.आ., क्षे.का. राजमुंद्री	आमंत्रित सदस्य

निम्नलिखित अधिकारीगण अवकाश अथवा अन्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:-

राजभाषा कार्यान्वयन समिति - (संगठन) सदस्यों की सूची		
1.	श्रीमती अलका झा, मुख्य सतर्कता अधिकारी,	सदस्य
2.	श्री मनीष गुप्ता, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,	सदस्य
3.	श्री के.वी. सर्वेश्वरन, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य
4.	श्री के.एल. तनेजा, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य
5.	श्री एम.एस. कालिया, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
6.	श्री चंद्रमौली चक्रवती, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
7.	श्रीमती उदिता चौधरी, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
8.	प्रभारी अधिकारी, क्षे.का. इलाहाबाद,	आमंत्रित सदस्य
9.	प्रभारी अधिकारी, क्षे.का. रांची	आमंत्रित सदस्य
10.	प्रभारी अधिकारी, क्षे.का. कोट्टयम	आमंत्रित सदस्य

उप निदेशक (राजभाषा), सदस्य सचिव ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 24वीं अर्धवार्षिक बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सूचित किया कि यह बैठक संगठन स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती है। सदस्य सचिव ने आमंत्रित सदस्यों का परिचय दिया तथा बैठक की कार्रवाई आरंभ की ।

अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि यदि बैठक में दूर-दराज के कार्यालयों से अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो, तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है ।

<u>मद संख्या:</u> 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।</u>

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की 23वीं बैठक दिनांक 30.12.2014 को संपन्न हुई थी । इसके कार्यवृत्त 12 जनवरी, 2015 को जारी किए गए थे। उप निदेशक (राजभाषा), सदस्य-सचिव ने सूचित किया गया कि 23वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में किसी सदस्य / कार्यालय से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की जा सकती है।

तदनुसार, 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णय एवं उन पर कृत कार्रवाई ।

उप निदेशक (राजभाषा), सदस्य-सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से समिति सदस्यों को अवगत कराया। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। अधिकांश कार्यालय रा.भा.का.स. की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं। ऐसे कार्यालय, जो रा.भा.का.स. की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं कर रहे हैं, उन्हें तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के माध्यम से सूचित करते हुए बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए जाते हैं। ऐसे कार्यालय, जिन्होंने हिंदी पुस्तकों की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं किया था, 31.03.2016 को समाप्त तिमाही में उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

मद संख्या: 3 संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन एवं उन पर कृत कार्रवाई।

उप निदेशक (राजभाषा), सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	21.01.2015
2.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, दार्जीलिंग	07.04.2015
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद	28.01.2016
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	18.02.2016
5.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर	08.06.2016
6.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद	07.07.2016
7.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि	31.12.2016
8.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा.सा.सु. अकादमी	09.01.2017 (निरीक्षण स्थगित)
9.	क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी	03.05.2017
10.	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर	16.09.2017
11.	क्षेत्रीय कार्यालय, कालीकट	12.10.2017

उपरोक्त के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति द्वारा क्रमश: 04.07.2017 एवं 31.08.2017 को क्रमश: क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन एवं मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली का निरीक्षण किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या मुख्य कार्यालय के स्तर पर कोई आश्वासन संबंधी कार्रवाई लंबित है? सदस्य-सचिव ने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि:-

उक्त सूची में क्रम संख्या-7 अर्थात् उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि तक संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए समिति सचिवालय को मंत्रालय के माध्यम से अंतिम उत्तर भिजवा दिए गए हैं ।

क्रम संख्या-8 अर्थात् पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा.सा.सु. अकादमी का राजभाषा निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति द्वारा स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रा.सा.सु. अकादमी का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निष्पादन संतोषजनक नहीं था। इसमें सुधार के लिए समिति द्वारा 6 माह अर्थात् 30 जून, 2017 तक का समय दिया गया था। तदनुसार, आवश्यक कार्रवाईयां करने के उपरांत दिनांक 18.08.2017 को संशोधित प्रश्नावली समिति सचिवालय को भिजवा दी गई है।

क्रम संख्या-9 अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों (Assurances) पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए समिति सचिवालय को मंत्रालय के माध्यम से अंतिम उत्तर 15.11.2017 को प्रेषित किए गए हैं।

क्रम संख्या-10 और 11 के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि जोधपुर तथा कालिकट कार्यालय द्वारा समय पर आवश्यक कर ली जाएगी।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टणम का निरीक्षण आगामी 24.01.2018 को किया जाना प्रस्तावित है। श्री के.एल.गोयल, उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत / प्रेषित की जाने वाली निरीक्षण प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक तैयार किया जाए तथा उसमें सही जानकारी प्रदान की जाए। समिति राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेती है, अत: नियम आदि का पूर्णत: पालन किया जाए ।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/ क्षे.का. जोधपुर/ कालिकट /विशाखापट्टणम

इसी क्रम में सदस्य सचिव ने सूचित किया कि हिंदी के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है, चूंकि अभी हिंदी संवर्ग के भर्ती नियम (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और सहायक निदेशक (रा.भा.) अधिसूचित किए जाने शेष हैं।

श्री के.एल. गोयल, उपाध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु कार्रवाई की जानी है। अध्यक्ष महोदय ने भर्ती नियमों को शीघ्र अधिसूचित करने हेतु मानव संसाधन प्रभाग को शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निदेश दिए।

कार्रवाई- एच.आर.डी.

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अभी तक केवल दावा निरस्तीकरण को ही द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने सभी पत्र, यथा-चेक अग्रेषण पत्र, कैश बुक आदि को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ।

कार्रवाई - सूचना सेवा अनुभाग।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि प्रचार के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी दिया जाना है। इस संबंध में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से प्राप्त महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों को क.भ.नि.सं. के फील्ड कार्यालयों को आवश्यक निदेशों सहित सूचित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस पर निगरानी रखी जाए ताकि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान अनावश्यक आलोचना / प्रतिकूल टिप्पणियों से बचा जा सके।

कार्रवाई- प्रचार अनुभाग (मुख्या.) /सभी फील्ड कार्यालय

मद संख्या: 4 श्रम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री जी द्वारा दिए गए निदेशों पर मुख्यालय द्वारा कृत कार्रवाई ।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 39वीं बैठक दिनांक 10.10.2017 को कोयम्बतूर में हुई है। इसके कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु 2017-18 की वेबसाइट पर क्रम संख्या 479 पर अपलोड किए गए हैं। मुख्य कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

मद सं: 5 वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न मदों में क, ख एवं ग क्षेत्रों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय का सांविधिक दायित्व है। यद्यपि संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किन्तु राजभाषा अनुदेशों का अनुपालन दृढतापूर्वक करना प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी का दायित्व है ।

वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2017-18 राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इसे साइट से कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है। फिर भी यह सभी कार्यालयों को दिनांक 05.04.2017 को परिचालित किया गया है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है।

कार्रवाई - मुख्यालय सहित सभी फील्ड कार्यालय

मद संख्या: 6 हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा ।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पीडीनास, आ.प्र.सं., उप आ.प्र.सं. सभी जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन पद्धति से राजभाषा विभाग को प्रेषित की जाती है तथा प्रतिलिपि मुख्यालय को भी प्रेषित की जाती है। मुख्यालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें कार्यान्वयन, नियमों का उल्लंघन एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग का विवरण संबंधित कार्यालय को वेब

परिचालन के माध्यम से सूचित किया जाता है, ताकि पाई गई कमियों को दूर कर राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार लाया जा सके।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि कुछ कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियम-5 एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) का उल्लंघन किया गया है, जो चिंता का विषय है । उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि नियम-5 एवं धारा-3(3) के उल्लंघन को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अत: इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।

ऐसे कार्यालय जहां पिछली दो तिमाहियों की रिपोर्ट में कमियां पाई गई थीं अथवा उन्होंने रिपोर्ट मुख्यालय में प्रेषित नहीं की थी, उन सभी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को 24वीं बैठक में उपस्थित होने के निदेश दिए गए थे। इनमें से वारंगल, राजमुंद्री, गुंटूर, नोएडा, वाराणसी, जबलपुर, करनाल तथा बरेली के प्रभारी / तात्कालिक प्रभारी बैठक में उपस्थित थे। कोट्टायम, इलाहाबाद तथा रांची के प्रभारी अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए।

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें निदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी नियमों का पालन करते हुए सभी अपेक्षाएं अर्थात् कार्यशाला आयोजन, बैठक का आयोजन तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। राजभाषा नियम-5 तथा धारा-3(3) की अवहेलना बिल्कुल न की जाए। यदि ऐसा किया गया है, तो तुरंत उनका हिंदी अनुवाद जारी किया जाए। साथ ही भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए तथा ऐसी त्रुटियों को बिल्कुल भी न दोहराया जाए।

बैठक में उपस्थित गुंटूर कार्यालय के प्रभारी क्षे.भ.नि.आ. ने समिति को सूचित किया कि उनके कार्यालय में कोई भी हिंदी अनुवादक तैनात नहीं है, जिसके कारण उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित अन्य प्रभारी अधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया कि जैसे ही भर्ती नियमों के अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है, तुरंत राजभाषा के पदों को भरा जाएगा।

कार्रवाई- एचआरडी अनुभाग (मुख्या.)
क्षे.का. नोएडा/ वारंगल, राजमुंद्री, गुंटूर, नोएडा, वाराणसी, जबलपुर, करनाल तथा बरेली

<u>मद सं: 7 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना ।</u>

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार संगठन के प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाना आवश्यक है। इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों पर चर्चा की जाती है तथा उसके पश्चात् लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है, जिससे वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा हिंदी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिल सके ।

संगठन के विभिन्न कार्यालयों से मुख्यालय को प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह देखने में आया है कि इस मद में संगठन के अधिकांश कार्यालयों द्वारा संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है अर्थात् बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के परिणामस्वरूप संगठन में बहुत से नए कार्यालय खुले हैं, जो अभी पूर्णतया चलन में नहीं हैं। ऐसे कार्यालयों में अभी बैठकें आदि आयोजित नहीं की जा रही है। जब ये कार्यालय पूर्ण रूप से कार्य करने लगें, तो सुनिश्चित किया जाए कि यहां रा.भा.का.स. की बैठक तथा अन्य रा.भा. गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

<u>मद सं: 8 संगठन के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण ।</u>

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय दवारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 25% अधीनस्थ कार्यालयों का प्रतिवर्ष राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 43 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जो कि लक्ष्य के अनुरूप अर्थात् 26% था। संगठन के विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण हेतु कैलेण्डर तैयार किया गया है तथा तदनुसार लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग (मुख्या.)

<u>मद सं: 9 हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।</u>

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी पुस्तकों का क्रय किया जाना अपेक्षित है। संसदीय राजभाषा समिति

भी अपने निरीक्षणों के दौरान इस मद को विशेष महत्व देती है। हिंदी पुस्तकों की खरीद राशि के निर्धारण में यह ध्यान देना अपेक्षित है कि जर्नलस/संदर्भ साहित्य की पुस्तकों को इस राशि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा पुस्तकालय बजट की न्यूनतम 50 % राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाएगी। इस आशय के आदेश मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिए जाते रहे हैं।

श्रीमती वीणा रानी यादव, उप निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि जिन कार्यालयों में पुस्ताकलय के लिए बजट आबंटित होता है, वहां न्यूनतम 50 % राशि की हिंदी पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए। जहां पुस्तकालय के लिए बजट का प्रावधान नहीं है, वहां विविध शीर्ष से सम्मानजनक राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जानी चाहिए।

समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि पुस्तकें खरीदा जाना ही पर्याप्त नहीं है, पुस्तकों के पाठक भी होने चाहिएं ताकि व्यय की गई राशि का सदुपायोग हो। समिति को सूचित किया गया कि मुख्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची तथा चलन रजिस्टर हिंदी अनुभाग में उपलब्ध है। श्री राजेश्वर राजेश, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-।। ने सूचित किया कि शीघ्र ही क.भ.नि.सं. का मुख्यालय नए भवन में स्थानांतरित होने वाला है, परंतु नए भवन में पुस्तकालय के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। नए भवन में पुस्तकालय के लिए पर्याप्त स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि पुस्तकालय सुचारू रूप से कार्य कर सके।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पुस्तकालय के लिए नए भवन में स्थान बनाया गया है।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय द्वारा मलयालम में रचित तथा हिंदी में अनूदित पुस्तक 'रामानुतापम' उच्च स्तर की पठनीय पुस्तक है।

कार्रवाई-हिंदी अनुभाग/पी.एफ.डी./सभी फील्ड कार्यालय

मद सं. 10 कंप्यूटर/वेबसाइट/सॉफ्टवेयर पर हिंदी का प्रयोग।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि कार्यालय के कार्य को कंप्यूटर द्वारा संपन्न करवाने की दिशा में सरकार के सामान्यत: निदेश हैं कि कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में द्विभाषीय सॉफ्टवेयर और यूनिकोड फोन्ट, जिसके माध्यम से हिंदी कार्य सुगमता से किया जा सकता है।

तथा किए गए कार्य का किसी भी कार्यालय द्वारा प्रिंट लेने में सुविधा रहती है, उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यालय द्वारा भी संगठन के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर यूनिकोड की उपलब्धता हेतु निदेश दिए गए हैं ।

वेबसाइट के द्विभाषीकरण के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या क.भ.नि.सं. की वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है? सदस्य-सचिव द्वारा सूचित किया गया कि वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है तथा क.भ.नि.सं. की कार्यप्रणाली से संबंधित अधिकांश सामग्री द्विभाषी में उपलब्ध है। शेष सामग्री को भी शीघ्र ही द्विभाषी में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वेबसाइट की अंग्रेजी सामग्री को हिंदी में भी अपलोड करने के संबंध में सूचना सेवा प्रभाग को समय-समय पर निदेश दिए जाते रहे हैं। नवीनतम पत्राचार दिनांक 13.09.2017 को किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जाहिर की कि मुख्यालय की वेबसाइट को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने की संभावनाओं को भी तलाश किया जाना चाहिए।

कार्रवाई- एनडीसी / हिंदी अनुभाग

मद सं: 11 हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाना ।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में हिंदी कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी क्रम में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। अभी हाल ही में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट में पूर्ण दिवसीय आयोजित हिंदी कार्यशालाओं की संख्या दिया जाना अपेक्षित है। साथ ही कार्यालय के समस्त कार्मिकों को दो वर्ष में कम-से-कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

डॉ. एस.के. ठाकुर, अपर कें.भ.नि.आ. (मुख्या.) महोदय ने जोनल कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों / अधिकारियों की कम संख्या को देखते हुए, उन्हें नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में भाग लेने का प्रावधान करने का सुझाव दिया ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि ऐसा पहले से ही किया जा रहा है। फिर भी इस उद्देश्य का परिपत्र पुन: जारी कर दिया जाएगा कि ऐसे कार्यालय जहां कर्मचारियों / अधिकारियों

की संख्या कम है, वे नजदीकी बड़े कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यशाला में अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें ।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग/क्षे.का. /इलाहाबाद/करनाल

<u>मद सं: 12 हिन्दी पखवाड़े का आयोजन ।</u>

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में प्रतिवर्ष हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है । इस निमित मुख्यालय से प्रतिवर्ष सभी कार्यालयों को आदेश जारी किए जाते हैं तथा माननीय केन्द्रीय आयुक्त के हस्ताक्षर से एक अपील भी जारी की जाती है । इस वर्ष भी दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक संगठन के समस्त कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़े का भव्य आयोजन किया गया । इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

मो. अशरफ कामिल, क्षे.भ.नि.आ.-I, क्षे.का. जबलपुर ने कहा कि वर्तमान में पुरस्कारों की राशि काफी बढ गई है तथा प्रतिभागियों की संख्या कम होने की वजह से एक ही प्रतिभागी कई पुरस्कार प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि ऐसा प्रावधान किया गया कि एक प्रतिभागी को केवल दो पुरस्कार दिए जाएं, जिनमें उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो ताकि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रति प्रतिभागियों का उत्साह बना रहे।

प्रभारी जबलपुर ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी राशि के लिए अलग से बजट की आवश्यकता पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया कि यदि आपको अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ती है, तो मुख्यालय से मांग लें।

कार्रवाई- सभी संबंधित

<u>मद सं: 13 जांच बिन्दु (Check Points) जारी करना ।</u>

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग की नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों के लिए जांच बिन्दु तैयार किए गए हैं। ये जांच बिन्दु आमतौर पर प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं । संसदीय राजभाषा समिति भी अपने निरीक्षण के दौरान इनको सख्ती से लागू करने पर बल देती है । संगठन द्वारा भी सभी कार्यालयों के लिए जांच बिन्दु प्रायः प्रतिवर्ष जारी किए

जाते हैं । इस वर्ष के लिए भी मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.04.2017 को जांच बिंदु जारी कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने स्थिति पर संतोष व्यक्त किया ।

मद सं: 14 <u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति</u>

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि हाल ही में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली-I) की अध्यक्षता केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय को सौंपी गई है। उसके पश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा नराकास, दक्षिण दिल्ली को दो भागों में विभक्त किया गया है, नामत: दक्षिण दिल्ली-I एवं दक्षिण दिल्ली-II ।

उपाध्यक्ष महोदय ने हर्ष व्यक्त करते हुए सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय ने स्वेच्छा से नराकास की अध्यक्षता ग्रहण की है और वे नराकास, दक्षिण दिल्ली-I के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में नोडल कार्यालयों के साथ दिनांक 25.07.2017 को बैठक हुई। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए है। नराकास, दिल्ली दक्षिण-I की प्रथम बैठक 22.08.2017 को आयोजित की गई थी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संगठन के विभिन्न कार्यालय भी अपने-अपने नगर की नराकास के सदस्य हैं। गत वर्षों के दौरान हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने के लिए उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। जैसे- क्षे.का., लुधियाना, राउरकेला, बरेली, मंगलूर, त्रिवेन्द्रम आदि। इस वर्ष भी नराकास द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक को प्रथम पुरस्कार और क्षे.का., मंगलूर, क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिक्कोड तथा क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

क्षे.का., करनाल के प्रभारी क्षे.भ.नि.आ. श्री रविकांत ने समिति को अवगत कराया कि करनाल कार्यालय को भी नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर हर्ष प्रकट किया तथा विजेताओं को बधाई दी।

<u>मद सं: 15</u> <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद ।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद के अंतर्गत सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि गत तीन वर्षों की विभागीय हिंदी पत्रिका प्रकाशन से संबंधित पुरस्कार प्रदान करने हेतु परिणाम

घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया कि अब कार्यालयों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए केवल जोनल स्तर पर पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि इससे पत्रिका का स्तर उच्च कोटि का होगा तथा खर्च में भी कटौती होगी।

सदस्य-सचिव ने यह भी सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय ने संगठन का अखिल भारतीय 16वां राजभाषा सम्मेलन 'जोधपुर' में 09.02.2018 को आयोजित करने को भी अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

वीपीजोय

(डॉ.वी.पी. जोय)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भा.प्र.से.
एवं अध्यक्ष- रा.भा.का.स. (संगठन)